[2022] 2 एस. सी. आर. 513

दिल्ली का उच्च न्यायालय

वी.

देवीना शर्मा

(2022 की सिविल अपील सं. 2016)

14 मार्च, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, ए. एस. बोपन्ना

और हिमा कोहली, जे. जे.]

न्यायपालिकाः दिल्ली के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा

न्यायिक सेवा (डी. जे. एस.) परीक्षा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के लिए उपस्थित होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता

(डी. एच. जे. एस.) परीक्षा-की वैधता वैधता, चुनौती दी गई-आयोजितः डी. जे. एस. परीक्षा 2022 के संबंध में-उच्च न्यायालय ने अंतिम परीक्षा आयोजित की

2019 में डी. जे. एस. में भर्ती के लिए परीक्षा-2020 में संस्थागत कारणों से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और 2021 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण-उच्च न्यायालय के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था कि जो उम्मीदवार 2020 और 2021 के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पूरा कर चुके होंगे, वे आगामी वर्ष 2022 के लिए परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे-इसलिए, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी और परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई थी-डी. एच. जे. एस. परीक्षा के संबंध में-Art.233 के खंड (1) में कहा गया है कि व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति निम्नलिखित द्वारा की जाएगी -

राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल-संविधान

इस आशय की आवश्यकता निर्धारित की गई है कि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहा हो-इसका क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने सात साल के मानदंड को पूरा नहीं किया है वह पात्र नहीं है-संविधान सेवा या नियुक्ति की शर्तों को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग को नहीं रोकता है। न्यूनतम आयु निर्धारित करते हुए, उच्च न्यायालय अपने नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस तरह की आयु निर्धारित करने के हकदार हैं।

आवश्यकता-जिला न्यायाधीश का पद वरिष्ठ स्तर पर होता है। संवर्ग-आयु परिपक्वता और अनुभव के अधिग्रहण के लिए बाहरी नहीं है, विशेष रूप से न्यायिक संस्थानों में जो वास्तविक मामलों को संभालते हैं।

समस्याओं का सामना करना और स्वतंत्रता और न्याय के लिए चुनौतियों का सामना करना-एक उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए-इसलिए, यह मानने का कोई वैध आधार नहीं है कि डी. एच. जे. एस. के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए-डी. जे. एस. परीक्षा के संबंध में दिए गए तर्क की समानता पर, उन उम्मीदवारों को 2022 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है जिन्होंने उच्च योग्यता प्राप्त की होगी।

भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 45 वर्ष की आयु सीमा जिसके दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 न्यायिक सेवा में भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए समय सारिणी निर्धारित की गई है। मलिक मजहर सुल्तान (3) बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा। उद्देश्य और उद्देश्य

इस न्यायालय के निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए रहे हैं कि न्यायिक सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया जाए

प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन, प्रत्येक वर्ष अनुसूची। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी. जे. एस. में भर्ती के लिए अपनी आखिरी परीक्षा 2019 में आयोजित की थी। मान लीजिए, 2020 या 2021 में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि 2019 की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। 2020 की परीक्षा कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। इस पृष्ठभूमि में, चूंकि परीक्षा दो भर्ती वर्षों के लिए आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष कहा है कि एक बार के उपाय के रूप में, यह न्यायालय इस सुझाव को स्वीकार कर सकता है कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त की होगी, अगर वे भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के लिए निर्धारित समय पर आयोजित किए जाते, तो नियमों के संदर्भ में जो वे तब थे, उन्हें आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। [पैरा 18] [522-जी-एच; 523-ए-डी]

1.2 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भर्ती

डी. जे. एस. के लिए परीक्षा आखिरी बार 2019 में आयोजित की गई थी और इस बीच दो भर्ती वर्ष बीत चुके हैं, इस न्यायालय ने कहा कि इस वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा सुझाव की स्वीकृति का परिणाम यह होगा कि जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली के उच्च न्यायालय v को पूरा किया होगा।

देवीना शर्मा

2021 आगामी भर्ती वर्ष 2022 के लिए परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। अब वे जिस आयु सीमा का सामना करेंगे, वह उनकी अपनी इच्छा से नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाई के वास्तविक तत्व को उच्च न्यायालय द्वारा दूर कर दिया गया है और इस अदालत के सुझाव को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता है। न ही अनिश्चित काल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ा जा सकता है। मौजूदा उम्मीदवारों के पास नहीं हो सकता है

प्रतियोगिता के विस्तार से शिकायत। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, उच्च न्यायालय का यह सुझाव स्वीकार किया जाता है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी जाएगी और परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि परीक्षा के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी और कोई भी न्यायालय इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के विपरीत या विपरीत स्थगन का कोई आदेश जारी नहीं करेगा। [पैरा 19] [523-डी-एच]

नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 के खंड (1) में कहा गया है कि व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श। अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को नियंत्रण सौंपता है, जिसमें राज्य में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और छुट्टी प्रदान करना और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई भी पद धारण करना शामिल है। संविधान

इस आशय की आवश्यकता निर्धारित की गई है कि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील रहा हो।

इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसने सात साल के मानदंड को पूरा नहीं किया है, वह पात्र नहीं है। संविधान उच्च न्यायालयों द्वारा सेवा या नियुक्ति की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। संविधान के मौन को उनके द्वारा पूरक होना चाहिए और होना चाहिए

शेट्टी आयोग की सिफारिश। इसलिए, यह मानने का कोई वैध आधार नहीं है कि एक उम्मीदवार की आवश्यकता डी. एच. जे. एस. के लिए कम से कम पैंतीस वर्ष की आयु अमान्य है। [पैरा 26,27] [525-एफ-एच; 526-ए-एफ, एच; 527-ए-बी]

मलिक मजहर सुल्तान (3) v. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (2008) 17 एस. सी. सी. 703; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2002) 4 एस. सी. सी. 274; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2002) 4 एस. सी. सी. 247 [2002] 2 एस. सी. आर. 712; हिरांद्रा

कुमार बनाम. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2020) 17 एस. सी. सी. 401: [2019] 2 एस. सी. आर. 608-संदर्भित।

दिल्ली का उच्च न्यायालय बनाम देवीना शर्मा

मामला कानून संदर्भ

(2008) 17 एस. सी. सी. 703

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2002) 4 एस. सी. सी. 274

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 712

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2016

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 08.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली का डब्ल्यू. पी. (ग) 2022 का No.3914।

के साथ

सिविल अपील सं। 2017-2020 2022 तक।

ए. डी. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौतम नारायण, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

देवदत्त कामत, सुश्री अमरजीत सिंह चांढियोक, सुश्री अनीता

शेनॉय, दामा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश इनामदार, पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सुश्री रिपुल स्वाति, रंजन निखिल धरणीधर, करण दलाल, सूर्यवीर, आदित्य कपूर, सुश्री मनिका गोस्वामी, सुश्री. मेधा टंडन, दीपकरण दलाल, विवेक सिंह, नमित सक्सेना, मनीष रोहिल्ला, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें एक खंड पीठ के आदेशों से उत्पन्न होती हैं

दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 4 मार्च 2022 और 8 मार्च 2022। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में निम्नलिखित की वैधता से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं:

दिल्ली के लिए उपस्थित होने के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा

((i)

न्यायिक सेवा 1 परीक्षा; और

उपस्थित होने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु की आवश्यकता

((ख)

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा 2 परीक्षा के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी 2022 को डी. जे. एस. और डी. एच. जे. एस. के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की। डीजेएस के लिए,

प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2022 है और परीक्षा 27 मार्च 2022 को होने वाली है। डी. एच. जे. एस. के लिए प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2022 थी जबकि परीक्षा की तिथि 20 मार्च 2022 है।

4. विवाद की जड़ दिल्ली न्यायिक सेवा नियम 1970 के नियम 14 (सी) से संबंधित है। गैर-संशोधित नियम 14 (सी) में निर्धारित किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने की तारीख के बाद 1 जनवरी को 32 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। उपरोक्त नियम को 11 फरवरी 2022 को संशोधित किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एक उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा यदि उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं है, उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 में डी. जे. एस. में भर्ती के लिए अंतिम परीक्षा आयोजित की थी। यह आम बात है कि 2020 में संस्थागत कारणों से और 2021 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि जिन उम्मीदवारों ने उच्च आयु सीमा के संदर्भ में अर्हता प्राप्त की होगी

32 डी. जे. एस. के लिए वर्ष, जैसा कि नियम 14 (सी) में निर्धारित किया गया है, अब इस तथ्य के कारण पात्र नहीं होंगे कि परीक्षा मार्च 2022 में आयोजित की जा रही है। संशोधित नियम 14 (सी) के संदर्भ में वे उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन 32 वर्ष की आयु को पार कर चुके होंगे जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय ने 2020 में निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजित की थी और

2021 , ऐसे उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की होगी क्योंकि वे संबंधित वर्ष के लिए 32 वर्ष की आयु सीमा के भीतर थे।

6. जब याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई, तो डिवीजन बेंच ने 8 मार्च 2022 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा निर्देश दिया कि आवेदन प्राप्त करने की तारीख को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

सुनवाई की अगली तारीख और परीक्षा आयोजित करने की तारीख को भी स्थगित कर दिया जाएगा। कार्यवाही को 7 अप्रैल 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

उसी पीठ के समक्ष, जिसे मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करने के बाद 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 3636 से जब्त कर लिया गया था। इसलिए प्रभावी रूप से, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से, डी. जे. एस. के लिए परीक्षा जो 27 मार्च 2022 को होने वाली थी, स्थगित हो जाएगी।

दिल्ली का उच्च न्यायालय बनाम देवीना शर्मा

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7. उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से व्यथित, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया है

प्रशासनिक पक्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय। 8. डी. एच. जे. एस. के लिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की याचिका जिसके परिणामस्वरूप 4 मार्च 2022 को डिवीजन बेंच का अंतरिम आदेश आया। उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत की पृष्ठभूमि यह थी कि 2019 में उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर 2019 की अधिसूचना द्वारा डी. एच. जे. एस. नियमों में संशोधन किया था। नियम 9 (3) प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा 35-35 वर्ष की न्यूनतम आयु की आवश्यकता को हटा दिया गया था।

न्यायालय दिनांक 26 दिसंबर 2019। इसके बाद, 8 फरवरी 2022 की एक अधिसूचना द्वारा, नियम 9 (3) में संशोधन किया गया ताकि यह आवश्यकता निर्धारित की जा सके कि उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नियम 9 (3) भी

यह प्रावधान है कि उम्मीदवार को उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए जिसमें आवेदन के लिए नियुक्ति आमंत्रित की जाती है। निवेदन यह है कि अनुच्छेद 233 के तहत

संविधान, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एकमात्र योग्यता एक अधिवक्ता या वकील के रूप में सात साल का निरंतर अभ्यास है। इसलिए, निवेदन यह है कि हालांकि संविधान एक निर्धारित नहीं करता है

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, नियम 9 (3) ऐसी आवश्यकता का परिचय देता है जो संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन होगी। 9. उच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2022 के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि चूंकि न्यूनतम आयु सीमा को दो साल के अंतराल के बाद फिर से लागू किया गया है, इसलिए इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इसका निर्देशन करते हुए

याचिका को 7 अप्रैल 2022 को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख सुनवाई की अगली तारीख से आगे बढ़ाई जानी चाहिए। प्रभावी रूप से, इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश, परीक्षा जो 20 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली थी, स्थगित हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में इसका प्रशासनिक पक्ष इस न्यायालय के समक्ष है। 10. 11 मार्च 2022 को, डी. जे. एस. परीक्षा से संबंधित विशेष अनुमति याचिका 3 में नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित कियाः

आदेशः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" न्यायालय की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाती है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना

प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, नोटिस स्वीकार करता है। प्रत्यर्थी को 12.03.2022 द्वारा अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी का दावा है कि महामारी के कारण उसे दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला

पिछले दो वर्षों से। तदनुसार, वह प्रार्थना करती है कि चूंकि उसने इस प्रक्रिया में 32 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा को पार कर लिया है, इसलिए उसे वर्तमान परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि लगभग 5,700 उम्मीदवारों ने उक्त परीक्षा के लिए आवेदन किया है और इसके लिए समय सारिणी पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त परीक्षा की समय-सारणी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है, हम मामले की सुनवाई करना और मामले को रोके बिना कानून के अनुसार इसका निपटारा करना उचित समझते हैं।

जाँच प्रक्रिया।

हालांकि, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादी को उपरोक्त परीक्षा के लिए अपना आवेदन जमा करने की अनुमति देते हैं जो विषय बना रहेगा।

इस याचिका के परिणाम के लिए।

मामले को 14.03.2022 पर सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की एक प्रति प्रतिवादी को तुरंत प्रदान करे।

11. इसी तरह, डी. एच. जे. एस. परीक्षा के लिए विशेष अनुमति याचिका 4 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित कियाः

11 मार्च 2022 कोः

" न्यायालय की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाती है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

(ग) 2022 का संख्या 4432-4435 दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम।

देवीना शर्मा

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दस्ती की भी अनुमति है। यह ध्यान दिया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं को प्राथमिकता देने वाले उत्तरदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए कोई आवेदन जमा नहीं किया है, जो होने जा रही है

20.03.2022 पर आयोजित किया गया। उत्तरदाताओं ने उपरोक्त परीक्षा में बैठने के लिए अपनी आयु में छूट के लिए सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख बढ़ाने का निर्देश दिया सुनवाई की अगली तारीख से परे फॉर्म यानी 07.04.2022।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त परीक्षा के लिए पहले ही 1200 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि यह उचित नहीं है

निर्धारित समय सीमा को बढ़ाना।

इसलिए, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील को निर्देश देते हैं कि वे उत्तरदाताओं को प्रस्तुत करने के लिए मोबाइल फोन या ई-मेल के माध्यम से सूचित करें।

द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके आवेदन

उच्च न्यायालय अर्थात 12.03.2022, जो हालाँकि, इन याचिकाओं के परिणाम के अधीन रहेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तरदाताओं के वकील को तत्काल आदेश के बारे में भी सूचित करें। इन बातों को 14.03.2022 पर सूचीबद्ध करें।

12. इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान वकील के माध्यम से पेश हुए हैं। इसके अलावा यह

अदालत को व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप करने के कई आवेदन भी मिले हैं।

जो उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, लेकिन 11 मार्च 2022 के अंतरिम आदेशों में निहित निर्देशों के लाभ का दावा करते हैं।

13. हमने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ए. डी. एन. राव को सुना है। की ओर से

उत्तरदाताओं और हस्तक्षेप करने वालों, हमने श्री देवदत्त कामत और श्री अमरजीत सिंह चांढियोक, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है। इन कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वालों का प्रतिनिधित्व श्री सिद्धार्थ लूथरा, सुश्री अनीता शेनॉय और श्री दमा शेषाद्री नायडू, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री आदित्य सिंह, श्री अमरजीत सिंह चांढियोक, श्री रंजन निखिल धरणीधर और श्री दीपकरण दलाल, विद्वान वकील ने किया है। हस्तक्षेप करने वालों में से एक श्री अनुज शर्मा भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं।

22] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. हम डी. जे. एस. और डी. एच. जे. एस. से संबंधित मुद्दों से निपटेंगे।

अलग से।

15. न्यायालय को पूर्ण और पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए

कार्यवाहियों का न्यायनिर्णयन, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं इस न्यायालय को हस्तांतरित की जाती हैं। हमें दोनों पक्षों द्वारा आग्रह किए गए निवेदनों का लाभ मिला है।

16. शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ए. डी. एन. राव ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने

डी. जे. एस. के लिए 2020 और 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा का संचालन नहीं करना। 2020 की परीक्षा प्रक्रियात्मक कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पिछले भर्ती वर्ष की प्रक्रिया थी। 2019 , पूरा नहीं हुआ था। 2021 की परीक्षा के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जो उम्मीदवार अन्यथा करेंगे

यदि परीक्षा 2020 और 2021 में आयोजित की जाती है, तो 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के संदर्भ में अर्हता प्राप्त करना अब आयु वर्जित हो जाएगा क्योंकि परीक्षा 23 फरवरी 2022 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आयोजित की जा रही है। 17. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री ए. डी. एन. राव द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह न्यायालय, विशेष रूप से

इस न्यायालय द्वारा आवेदनों को उपयुक्त रूप से स्थगित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा की तारीखों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि यह न्यायालय इस सुझाव को स्वीकार करता है, तो सभी संभावित आवेदकों की सूचना के लिए उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संचार अपलोड किया जाएगा ताकि भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के दौरान पात्र होने वाले उम्मीदवारों को आगामी प्रक्रिया के लिए एक समय पर उपाय के रूप में माना जा सके।

18. भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए समय सारिणी

न्यायिक सेवा इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित की गई है

5 2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 3914 और डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 3636/2020,3650/2022,3665/2022 और 3684/2022 दिल्ली का उच्च न्यायालय बनाम।

देवीना शर्मा

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मलिक मजहर सुल्तान (3) बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इस न्यायालय के निर्देशों का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि न्यायिक सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन हर साल निर्धारित समय पर आयोजित की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी. जे. एस. में भर्ती के लिए अपनी आखिरी परीक्षा 2019 में आयोजित की थी। मान लीजिए, 2020 या 2021 में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि 2019 की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। 2020 की परीक्षा कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। इस पृष्ठभूमि में, चूंकि परीक्षा दो भर्ती वर्षों के लिए आयोजित नहीं की गई थी,

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करने के बाद विद्वान वरिष्ठ वकील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष कहा है कि एक बार के उपाय के रूप में, यह न्यायालय इस सुझाव को स्वीकार कर सकता है कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त की होगी, अगर वे भर्ती वर्षों के लिए निर्धारित समय पर आयोजित किए जाते। 2020 और 2021 के नियमों के संदर्भ में, जैसा कि वे तब थे, आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

इस बीच, हमारा विचार है कि इस वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस न्यायालय द्वारा सुझाव की स्वीकृति, यह होगी कि उम्मीदवार

जिन्होंने भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पूरा किया होगा, वे आगामी भर्ती वर्ष 2022 के लिए परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। अब वे जिस आयु सीमा का सामना करेंगे, वह उनकी अपनी इच्छा से नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाई के वास्तविक तत्व को उच्च न्यायालय द्वारा दूर कर दिया गया है और इस अदालत के सुझाव को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है और न ही

जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उन्हें अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया जाना चाहिए। मौजूदा उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के विस्तार से कोई शिकायत नहीं हो सकती है। इस अभ्यास को सुगम बनाने के लिए हम महामहिम के सुझाव को स्वीकार करते हैं

अदालत ने कहा कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी जाएगी और परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। हम निर्देश देते हैं कि परीक्षा के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी और कोई भी अदालत इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के साथ या उनके विपरीत स्थगन का कोई आदेश जारी नहीं करेगी।

6 (2008) 17 एससीसी 703 [2022] 2 एस. सी. आर.

20. उपरोक्त शर्तों में संशोधित तिथियों का एक संचार दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा

21. रिट याचिका 7 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती 35 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित है।

उच्च न्यायिक सेवा के लिए उपस्थित होने के लिए। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमरजीत सिंह चांढियोक प्रस्तुत करते हैं कि:

संविधान के अनुच्छेद 233 में कोई प्रावधान नहीं है।

((i)

न्यूनतम आयु की आवश्यकता और एकमात्र आवश्यकता यह है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति को अधिवक्ता या अधिवक्ता होना चाहिए।

7 वर्ष से कम; नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं है।

((ख)

न्यायिक सेवा के लिए जिसके परिणामस्वरूप, न्यायिक सेवा में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवार

पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे;

(iii)

उच्च न्यायालय ने स्वयं न्यूनतम आयु को हटा दिया था

2019 में 35 वर्षों की आवश्यकता जिसे फिर से शुरू किया गया है

फरवरी 2022 में; और

((iv) इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को इस कारण से परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए कि जब तक नियम लागू नहीं हो जाते।

फरवरी 2022 में संशोधित, वे परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होते यदि यह सामग्री पर आयोजित किया जाता

2020 और 2021 का समय।

22. श्री चांधियोक द्वारा जो निवेदन किया गया है,

विद्वान वरिष्ठ वकील को श्री सिद्धार्थ लूथरा, सुश्री अनीता शेनॉय और श्री दामा शेषादिरी नायडू, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों और हस्तक्षेप करने वाले की ओर से पेश होने वाले वकील ने भी गोद लिया है।

23. उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ए. डी. एन. राव ने इस दलील का विरोध किया है।

' डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3636/2020,3650/2022,3665/2022 और 3684/2022 दिल्ली का उच्च न्यायालय बनाम।

देवीना शर्मा

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

24. प्रस्तुतिकरण की स्थिरता पर विचार करने के लिए, शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग,

आमतौर पर शेट्टी आयोग के रूप में जाने जाने वाले आयोग ने इस आवश्यकता को लागू करने की सिफारिश की कि जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट होनी चाहिए।

शेट्टी आयोग की सिफारिशों का अनुच्छेद 10.93 नीचे दिया गया हैः

" ..... हम अनुशंसा करते हैं कि जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

25. शेट्टी आयोग की सिफारिशों का शुरुआत में अखिल भारतीय स्तर पर इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पालन किया था।

जज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 3. इस न्यायालय के आदेश से, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिपोर्ट की एक प्रति दी गई थी प्रस्तुत किए गए लोगों को भारत संघ को शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अंततः शेट्टी आयोग की रिपोर्ट का परिणाम निकला

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में। कई उच्च न्यायालयों के नियमों में प्रावधान है कि उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यू. पी. उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित नियमों को हिरंद्र कुमार बनाम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में देखा गया था। सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता या अधिकतम आयु प्रदान करने वाले नियम का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य रूप से नीति का विषय है। इस विषय पर पहले के उदाहरणों को ध्यान में रखने के बाद, हिरंद्र कुमार (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि कटौती का निर्धारण नीति के दायरे में निहित है।

26. अपीलार्थियों का प्रस्तुत करना, इस प्रभाव से कि न्यूनतम आयु का निर्देश संवैधानिक के विपरीत होगा संविधान के अनुच्छेद 233 में निहित प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह केवल नियुक्त होने का पात्र होगा।

9 (2002) 4 एससीसी 247 10 (2020) 17 एस. सी. सी. 401 ("हिरन्द्र कुमार")

एक वकील और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित है। अनुच्छेद 233 के खंड (1) में निर्धारित किया गया है कि व्यक्तियों की नियुक्ति, नियुक्ति और

राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों को अनुमति देना और अनुमति देना। संविधान ने इस आशय की आवश्यकता निर्धारित की है कि कोई व्यक्ति केवल तभी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा जब वह कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील रहा हो। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसने सात साल के मानदंड को पूरा नहीं किया है, वह पात्र नहीं है। संविधान उच्च न्यायालयों द्वारा सेवा या नियुक्ति की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। संविधान के मौन को उन लोगों द्वारा पूरक बनाया जाना चाहिए जिन्हें इसके प्रावधानों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है। संविधान न्यूनतम आयु के निर्धारण के संबंध में चुप होने के कारण, उच्च न्यायालय अपने नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यकता निर्धारित करने के हकदार हैं। उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती का उद्देश्य बार के सदस्यों से होना है जिनके पास पर्याप्त अनुभव है। जिला न्यायाधीश का पद संवर्ग में वरिष्ठ स्तर पर होता है। आयु परिपक्वता और अनुभव के अधिग्रहण के लिए बाहरी नहीं है, विशेष रूप से न्यायिक संस्थानों में जो वास्तविक समस्याओं को संभालते हैं और स्वतंत्रता और न्याय के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। उच्च न्यायालय अच्छी तरह से उनके भीतर हैं। एक आवश्यकता निर्धारित करने में क्षेत्र जो यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त परिपक्वता वाले उम्मीदवार उच्च न्यायपालिका के दायरे में प्रवेश करते हैं। यह आवश्यकता कि एक उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसे पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। एक छोटी अवधि को छोड़कर जब न्यूनतम पैंतीस वर्ष की आयु की आवश्यकता को हटा दिया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानदंड का पालन किया है।

27. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो निवेदन किया गया है, उसमें कोई योग्यता नहीं है

उच्च न्यायालय और हस्तक्षेप करने वालों के समक्ष जिन्होंने 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। हालांकि लगभग एक साल की छोटी अवधि के लिए, उच्च न्यायालय ने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता को हटा दिया था

उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए, उच्च न्यायालय ने नियम को सही किया है ताकि इसे शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बनाया जा सके। 2019 में 35 वर्ष की न्यूनतम आयु की आवश्यकता को हटाना डी. एच. जे. एस. के लिए आवेदकों के एक बड़े समूह को आकर्षित करने की आवश्यकता से निर्देशित हो सकता है। लेकिन न्यूनतम आयु उच्च न्यायालय दिल्ली बनाम की बहाली।

देवीना शर्मा

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

35 साल की आवश्यकता नीति का विषय है। यह इसके अनुरूप है

इस न्यायालय ने एक बार के उपाय के रूप में उच्च न्यायालय को डी. जे. एस. परीक्षा के लिए उन उम्मीदवारों को अनुमति देने की अनुमति दी है जिन्होंने भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के संदर्भ में अर्हता प्राप्त की थी। 45 भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के दौरान जिन वर्षों के दौरान उन कारणों से कोई परीक्षा नहीं हो सकी जो पहले देखे गए हैं।

29. आगे किसी भी मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, हम

भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 45 वर्ष की आयु सीमा के भीतर के उम्मीदवारों को आगामी डी. एच. जे. एस. परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक बार के उपाय के रूप में उच्च न्यायालय को अनुमति दें।

30. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 तक बढ़ा दी जाएगी। परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी, जैसा कि उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कहा गया है।

31. दिल्ली उच्च न्यायालय संकेत देते हुए एक शुद्धिपत्र अपलोड करेगा

अपनी वेबसाइट पर उपरोक्त छूट। 32. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।